

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़

निविदासंख्या 01 / भ.वनि. / इ.क.सं.वि.वि. / 2023

दिनांक 25 / 09 / 2023

निविदा दस्तावेज

कार्यालय के लिए सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था

कुलसंचिव

इ.क.सं.वि.वि. खैरागढ़ (छोगो)

फोन नं.- (07820) 234232

पिन नं.-491881

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़

निविदासंख्या 01 / भ.वनि. / इं.क.सं.वि.वि. / 2023

दिनांक 25 / 09 / 2023

निविदा दस्तावेज

इं.क.सं.वि.वि. के कैम्पस 1 एवं 2 हेतु सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था

निविदा संख्या 01 / भ.वनि. / इं.क.सं.वि.वि. / 2023

दिनांक 25 / 09 / 2023

विषय सूची

परिशिष्ट 1— निविदा आमंत्रण सूचना

परिशिष्ट 2—बोली प्रस्तुत करने का प्रपत्र

परिशिष्ट 3—बोलीदाताओं के लिए निर्देश

परिशिष्ट 4—अनुबंध की सामान्य शर्तें (जीसीसी)

परिशिष्ट 5— वित्तीय पत्रक

परिशिष्ट 6— तकनीकी पत्रक

परिशिष्ट 7— तकनीकी मूल्यांकन— स्कोर शीट

परिशिष्ट 8— वित्तीय पत्रक का मूल्यांकन

परिशिष्ट 9—निविदा के नियमों और शर्तों की स्वीकृति के लिए नोटरीकृत शपथ पत्र प्रपत्र।

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़

निविदासंख्या 01 / भ.वनि. / इं.क.स.वि.वि. / 2023

दिनांक 25 / 09 / 2023

बोली दस्तावेज की जानकारी

महत्वपूर्ण तिथियाँ

क्र.	विवरण	तारीख	समय
1.	निविदा के प्रकाशन की तिथि	25.09.2023	—
2.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	11.10.2023	—
3.	निविदा खुलने की तिथि	11.10.2023	3:30 बजे (अपराह्न)

टेंडर नं.	01 / भ.वनि. / इं.क.स.वि.वि. / 2023	दिनांक 25 / 09 / 2023
अनुबंध अवधि	समझौते की तारीख से एक वर्ष, जो संतोषजनक सेवाओं के अधीन विस्तार योग्य है।	
ईएमडी	रु. 5000.00 (पाँच हजार मात्र) कुलसंधिव इं.क.स.वि.वि. के पक्ष में देय	
निविदा दस्तावेज के पृष्ठों की कुल संख्या	30 पृष्ठ	
निविदा दस्तावेज का मूल्य	रु. 500.00 (पाँच सौ मात्र)	
निविदा जमा करने का स्थान	कार्यालय कुलसंधिव इं.क.स.वि.वि. खैरागढ़	

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़

निविदासंख्या 01 / भ.वनि. / इ.क.सं.वि.वि. / 2023

दिनांक 25 / 09 / 2023

परिशिष्ट—1

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़

निविदासंख्या 01 / भ.वनि. / इं.क.सं.वि.वि. / 2023

दिनांक 25 / 09 / 2023

निविदा आमंत्रण सूचना

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ के कैम्पस 1 एवं 2 की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा सुपरवाईजर के लिए पंजीकृत एजेसियों से निविदा आमंत्रित करता है।

कार्यों का विवरण निविदा दस्तावेज में दिया गया है। जारी निविदा दस्तावेज विश्वविद्यालय के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। (www.iksv.ac.in)

क्र.	विवरण	तारीख	समय
4.	निविदा के ऑनलाइन प्रकाशन की तिथि	25.09.2023	—
5.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	11.10.2023	—
6.	निविदा खुलने की तिथि	11.10.2023	3:30 बजे (अपराह्न)

सक्षम पदाधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है और कुलपति इं.क.सं.वि.वि. का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़

निपिदासंख्या 01 / भ.वनि. / इ.क.सं.वि.वि. / 2023

दिनांक 25 / 09 / 2023

परिशिष्ट-2



6

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़

निविदासंख्या 01 / भ.वनि. / इ.क.सं.वि.वि. / 2023

दिनांक 25 / 09 / 2023

बोली जमा करने का फार्म

(निविदाकार के लेटरहेड पर मुद्रित हस्ताक्षरित, मुहर लगी कापी जमा की जावेगी।)

तारीख:

बोली प्रपत्र

प्रति,

कुलसंघिव
इ.क.सं.वि.वि. खैरागढ़

संदर्भ:- बोली संख्या के लिए आमंत्रण निविदा संख्या 01 / भ.वनि. / इ.क.सं.वि.वि. / 2023

दिनांक 25 / 09 / 2023

अधोहस्ताक्षरकर्ता, घोषणा करते हैं कि:

1. हमने बोली दस्तावेजों की जांच की है और बोलीदाताओं को दिए गए निर्देशों के अनुसार जारी किए गए परिशिष्ट सहित बोली दस्तावेजों पर कोई आपत्ति नहीं है।
2. हम बोली दस्तावेज के अनुरूप आपके कार्यालय को सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने का वचन देते हैं।
3. यदि हमारी बोली रखीकार कर ली जाती है, तो हम बोली दस्तावेजों के अनुसार एक सुरक्षा निधि जमा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
4. हम यह भी घोषित करते हैं कि भारत सरकार या किसी अन्य सरकारी निकाय ने हमें भ्रष्ट, घोखाघड़ी, मिलीभगत या गंभीर प्रकृति की किसी अन्य विफलता/चूक में शामिल होने के आरोप में अयोग्य घोषित नहीं किया है या काली सूची में नहीं डाला है।
5. हम बोली दस्तावेज के नियमों और शर्तों के अनुसार समझौता करने और स्टाम्प आदि के शुल्क सहित सभी खर्चों को वहन करने का वचन देते हैं और समझौता हमारे लिए बाध्यकारी होगा।
6. हम इस बोली दस्तावेज के सभी नियमों और शर्तों को भी स्वीकार करते हैं और उनका पालन करने का वचन देते हैं, जिसमें यह शर्त भी शामिल है कि आप उच्चतम रैंक वाली बोली/निम्नतम बोली या आपको प्राप्त होने वाली किसी अन्य बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

सादर,

पूरा नाम और पदनाम

(निविदाकार के लेटरहेड पर मुद्रित किया जाए)

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़

निविदासंख्या 01 / भ.वनि. / इं.क.सं.वि.वि. / 2023

दिनांक 25 / 09 / 2023

परिशिष्ट-3



इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़

निविदासंख्या 01 / भ.वनि. / इं.क.सं.वि.वि. / 2023

दिनांक 25 / 09 / 2023

बोलीदाताओं के लिए निर्देश

1. सामान्य निर्देश

- 1.1 इं.क.सं.वि.वि. खैरागढ़ कैम्पस 1 एवं 2 की सुरक्षा के लिए निविदा आमंत्रित करता है।
- 1.2 जबकि निविदा दस्तावेज के प्रारूप में त्रुटियों से बचने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं।
- 1.3 बोलीदाता को वेबसाइट के माध्यम से निविदा दस्तावेज डाउनलोड करना चाहिए और सत्यापन और अपने हस्ताक्षर के बाद निविदा जमा करे।
- 1.4 बोलीदाता को बोलीदाता की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकरण के प्रमाण के रूप में प्राधिकार पत्र/पावर ऑफ अटार्नी की प्रति संलग्न करनी होगी।
- 1.5 सभी बोलीदाताओं को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि सशर्त प्रस्ताव या अनुबंध की शर्तों से विचलन वाले प्रस्ताव, न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली, बोलियां, तकनीकी बोलियां, की ईएमडी के साथ नहीं, या किसी अन्य आवश्यकता के साथ नहीं होने पर निविदा दस्तावेज अस्वीकार किये जा सकते हैं।
- 1.6 मध्यस्था सहित अनुबंध के सभी उदयेश्यों के लिए, बोली में उल्लेखित बोलीदाता का पता अंतिम होगा जब तक कि बोलीदाता इं.क.सं.वि.वि. में पायती के साथ निविदा जमा करेगा।
- 1.7 सुरक्षा कर्मियों की संख्या की आवश्यकताएं जैसा कि निविदा दस्तावेज में उल्लेखित है अस्थायी है और ग्राहक के सकाम पदाधिकारी के विवेक पर बढ़ या घट सकता है। तदनुसार, अनुबंध लागत भी बढ़ने/घटने के लिए उत्तरदायी हैं।

2. न्यूनतम पात्रता

बोलीदाताओं के चयन के लिए निम्नलिखित न्यूनतम पात्रता मानदंड होंगे

- A. 1. कानूनी वैध इकाई: बोली लगाने वाला अनिवार्य रूप से कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत लिमिटेड कंपनी या प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में कानूनी रूप से वैध इकाई होना चाहिए। जेवी/प्रोपाइटरशिप, पार्टनरशिप के रूप में बोली लगाने वाले को अनुमति नहीं है। बोलीदाता की कानूनी वैधता का समर्थन करने के लिए एक प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा।
- B. 1. वित्तीय क्षमता बोली लगाने वाले एस पिछले 3 वित्तीय वर्षों में प्रत्येक का न्यूनतम कारोबार 50.00 लाख रुपये होना चाहिए। उपरोक्त के समर्थन में प्रासंगिक प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा।
- C. 1. बोलीदाता को आयकर, सेवा कर के साथ पंजीकृत होना चाहिए और श्रम कानूनों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत भी पंजीकृत होना चाहिए। समर्थन में प्रासंगिक प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा।
- D. अनुभव: बोली लगाने वाले को सरकारी विभागों में सुरक्षा सेवा प्रदान करने के समान क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए। समर्थन में प्रासंगिक प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा।

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़

निविदासंख्या 01/भ.वनि./इ.क.सं.वि.वि./2023

दिनांक 25/09/2023

E. 1.लाइसेंस: बोली लगाने वाले के पास निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियम)(पीएसआर) अधिनियम 2005 के तहत सरकार के संबंधित राज्य नियंत्रण प्राधिकरण से वैध लाइसेंस होना चाहिए।

2.1 न्यूनतम पात्रता मानदंड का समर्थन करने वाले दस्तावेज़:-

- I. 2A(1) में न्यूनतम पात्रता मानदंड का पूरी तरह से पालन करने के प्रमाण में, संबंधित फर्मों/कंपनियों के रजिस्टरार द्वारा जारी निगमन प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रति ही स्वीकार्य होगी।
- II. 2B(1) में न्यूनतम पात्रता मानदंड का पूरी तरह से पालन करने के प्रमाण में, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए लेखा परीक्षित बैलेंस शीट की सत्यापित प्रति ही स्वीकार्य होगी।
- III. 2C(1) में न्यूनतम पात्रता मानदंड का पूरी तरह से पालन करने के प्रमाण में, पैन की वैध सत्यापित प्रति, श्रम पंजीकरण प्रति, ईपीएफओ पंजीकरण प्रति, ईएसआईसी पंजीकरण प्रति ही स्वीकार्य होगी।
- IV. 2D(1) में न्यूनतम पात्रता मानदंड का पूरी तरह से पालन करने के प्रमाण में, सरकारी विभागों द्वारा जारी पिछले तीन वर्षों से अनुभव दिखाने वाले कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र के साथ कार्य आदेशों की सत्यापित प्रति ही स्वीकार्य होगी।
- V. 2E(1) में न्यूनतम पात्रता मानदंड का पूरी तरह से पालन करने के प्रमाण में, निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन)(पीएसएआर) अधिनियम 2005 के तहत सरकार के संबंधित राज्य नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा विधिवत जारी लाइसेंस की सत्यापित प्रति स्वीकार्य होगी।

3. बयाना राशि:

3.1 बोलियों के साथ किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंकर चेक/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 5000/- रुपये की बयाना राशि जमा करनी होगी। डिमांड ड्राफ्ट की वैधता बोली जमा करने की तारीख से 3 (तीन) महीने तक होनी चाहिए। बैंकर चेक/डिमांड ड्राफ्ट कुलसंधिव इ.क.सं.वि.वि., खैरागढ़ के पक्ष में देय होगा।

3.2 बिना सुरक्षा निधि राशि के बोलियां रत्ती तौर पर खारिज कर दी जाएंगी।

3.3 बयाना राशि जमा या सुरक्षा जमा की राशि पर मूल्य या ब्याज में कमी के संबंध में विश्वविद्यालय के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा।

3.1 बोली सुरक्षा निधि (Ernest money) जब्त की जा सकती है:-

- I. यदि बोलीदाता बोली फार्म में बोलीदाता द्वारा निर्दिष्ट बोली वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है; या
- II. सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलीदाता



इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़

निविदासंख्या 01 / भ.वनि. / इं.क.सं.वि.वि. / 2023

दिनांक 25 / 09 / 2023

- a) निविदा दस्तावेज की शर्तों के अनुसार अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है।
- b) ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर निविदा दस्तावेज की शर्तों के अनुसार निविदाकार आवश्यक सुरक्षा निधि (performance securit) प्रस्तुत करने में विफल रहता है।

3.5 बयाना राशि (Ernest money) जमा पर कोई व्याज नहीं दिया जाएगा।

4. वित्तीय बोली:

4.1 बोलीदाता को अपनी वित्तीय बोली को एकल समेकित विवरण "बिल ऑफ क्वार्टीटी (बीओक्यू)" परिशिष्ट 5 में दिया जाना होगा।

4.2 बोलीदाता को सुरक्षा सेवाओं की प्रत्येक श्रेणी के लिए दरें भारतीय रूपये (अंको के साथ-साथ शब्दों में) में उद्धृत करनी होगी। अंको एवं शब्दों में दर में अंतर होने पर शब्दों में लिखी दर पर ही विचार किया जायेगा। यदि सभी श्रेणी के लिए दर उद्धृत नहीं की गई है, तो बोली वैध नहीं होगी और इसलिए उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। सफल बोली लगाने वाले को अनुबंध देते समय समेकित मूल्य की ध्यान में रखा जाएगा।

4.3 उद्धृत दरे पक्की एवं अंतिम होगी। कीमत में न्यूनतम वेतन, ईपीएफ, ईएसआईसी, वर्दी, और छुटियां ग्रेच्यूटी, बोनस, स्थानापन्न और समय-समय पर उत्पन्न होने वाले अन्य वैधानिक शुल्क शामिल होने चाहिए। कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होगा, जो समय-समय पर भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार देय है।

4.4 बिलों के भुगतान के समय, आयकर और किसी भी अन्य कर/शुल्क आदि की कटौती की जानी आवश्यक है, भुगतान के समय प्रचलित सरकारी नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार स्रोत पर कटौती की जाएगी।

5. तकनीकी बोली खोलने की प्रक्रिया:

5.1 तकनीकी बोलियां निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट समय और तारीख पर सक्षम अधिकारी द्वारा गठित अधिकारियों की एक समिति द्वारा खोली जाएगी।

5.2 यदि बोलीदाता बोली खोलने से पहले बोली खोलने के लिए उपरिथित होना चाहते हैं तो उनके प्रतिनिधि द्वारा एक प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

6. वित्तीय बोली खोलने की प्रक्रिया:-

6.1 सभी तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां, जिनकी बोलियां आवश्यक



इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़

निविदासंख्या 01 / भ.वनि. / इं.क.सं.वि.वि. / 2023

दिनांक 25 / 09 / 2023

विशिष्टताओं के अनुरूप स्वीकार की जाती है, योग्य बोलीदाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में नियत तिथि और समय पर खोली जाएगी, जो वित्तीय बोलियां खोलने के समय उपस्थित रहना चुनते हैं।

6.2 सभी योग्य बोलीदाता/उनके अधिकृत प्रतिनिधि जो उपस्थित होना चाहते हैं वित्तीय बोली खोलने के समय प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

6.3 वित्तीय बोली जांच से पहले केवल सबसे कम बोली लगाने वाला बनने से कोई अधिकार नहीं मिलेगा सबसे कम बोली लगाने वाले को यह दावा करने के लिए कि वह बोली प्रक्रिया में सफल है।

7. चयन प्रक्रिया:-

7.1 संस्था का चयन Quality cum cost basis (QCB) आधार पर किया जायेगा।

7.2 तकनीकी निविदा के आकलन हेतु निविदाकार की पात्रता के अनुसार, आवश्यक न्यूनतम अर्हताओं की पूर्ति करने वाले निविदाकार की तकनीकी निविदा का मूल्यांकन किया जायेगा।

7.3 परिशिष्ट-7 के अनुसार निविदाकार का स्कोर कार्ड तैयार किया जायेगा।

7.4 तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों का वित्तीय पत्रक खोला जायेगा।

7.5 परिशिष्ट-5 के अनुसार वित्तीय पत्रक का मूल्यांकन किया जायेगा।

7.6 तकनीकी मूल्यांकन से प्राप्त अंकों में वित्तीय मूल्यांकन से प्राप्त अंकों को जोड़कर, अधिकतम अंक प्राप्तकर्ता का चयन किया जायेगा।

8. स्वीकृति का अधिकार:-

8.1 कुलपति इं.क.सं.वि.वि. खैरागढ़ कार्यालय निविदा अस्वीकार करने के सभी अधिकार सुरक्षित रखता है।

8.2 इं.क.सं.वि.वि. खैरागढ़ अनुबंध समाप्त कर सकता है यदि यह पाया गया है कि ठेकेदार को किसी भी सरकारी विभाग/संस्था/स्थानीय निकाय/नगरपालिका/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि द्वारा पिछले अवसरों पर काली सूधी में डाला गया/वर्जित किया गया है।

9. 'स्वीकृत पत्र' जारी कर पुरस्कार की अधिसूचना (letter of acceptance):



इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़

निविदासंख्या 01 / भ.वनि. / इ.क.सं.वि.वि. / 2023

दिनांक 25 / 09 / 2023

9.1 सफल न्यूनतम बोली लगाने वाले का निर्धारण करने के बाद, विश्वविद्यालय एजेंसी/फर्म को दो प्रतियों में स्वीकृति पत्र जारी करेगा।

9.2 बोली लगाने वाले को स्वीकृति पत्र जारी करना एक अभिन्न अंग होगा और यह अनुबंध के लिए बाध्यकारी होगा।

10. बयाना राशि की वापसी (बोली सुरक्षा राशि):

10.1 असफल बोलीदाताओं की बयाना राशि तकनीकी बोली मूल्यांकन चरण पात्र वित्तीय बोलियां खुलने के सात (07) दिनों के भीतर वापस कर दी जाएंगी।

10.2 बोलियां खुलने के बाद और वित्तीय बोलियां खुलने से पहले निविदा रद्द होने की स्थिति में, सभी बोलीदाताओं की बयाना राशि उनकी न खोली गई वित्तीय बोलियों के साथ वापस कर दी जाएंगी।

10.3 असफल बोलीदाताओं को लौटाई गई बयाना राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़

निविदासंख्या 01 / भ.वनि. / इ.क.सं.वि.वि. / 2023

दिनांक 25 / 09 / 2023

परिशिष्ट—4



इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़

निविदासंख्या 01 / भ.वनि. / इ.क.सं.वि.वि. / 2023

दिनांक 25 / 09 / 2023

अनुबंध की सामान्य शर्तें (जीसीसी)

1. परिभाषाएं

1.1 सामान्यः

अनुसूचियों सहित इस अनुबंध में निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों का (जब तक कि संदर्भ के लिए अन्यथा आवश्यक न हों) वहीं अर्थ होगें जो उन्हें इस अनुसूची में दिए गए हैं।

“समझौता” “समझौता” और “अनुबंध” शब्द का प्रयोग परस्पर विनियम के लिए किया गया है।

दल “पार्टी” शब्द का अर्थ है सफल बोलीदाता जिसे सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है और सेवा प्राप्तकर्ता इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़।

पत्र का रवीकार इसका तात्पर्य अपने परिसर में सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने के लिए सफल बोलीदाता को शामिल करने के ग्राहक के इरादे से होगा।

सूचना को आगे बढ़ाना इसका तात्पर्य उस तारीख से है जिस दिन ग्राहक के परिसर में सुरक्षा रोवाएँ शुरू होनी है।

‘गुप्त जानकारी’ इसका मतलब ऐसी सभी जानकारी होगी जो आम तौर पर ज्ञात नहीं होती है और जो अनुबंध के कार्यकाल के दौरान प्राप्त/प्राप्त की जाती है और सीधे सेवा प्राप्तकर्ता के व्यवसाय/संपत्ति से संबंधित होती है जिसमें वाणिज्यिक मूल्य वाली जानकारी भी शामिल होती है।

समापन तारीख इसका तात्पर्य किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी गई समाप्ति की सूचना में निर्दिष्ट तिथि से होगा, जिससे अनुबंध समाप्त हो जाएगा।

समापन सूचना इसका मतलब किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया गया समाप्ति नोटिस होगा।

ठेकेदार इसका तात्पर्य उस सफल बोलीदाता से है जिसे सेवा प्राप्तकर्ता के परिसर में सुरक्षा रोवाएँ प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।

1.2 गोपनीयता:

1.2.1 ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी, सेवा प्राप्तकर्ता, के व्यवसाय या सुरक्षा व्यवसाय (असाइनमेंट निर्देशों, अनुसूचियों और अन्य बाद के समझौतों सहित इन्हीं तक सीमित नहीं) और/या सेवा प्राप्तकर्ता के व्यवसाय पर किसी भी तीसरे पक्ष को खुलासा, खुलासा और/या



इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़

निविदासंख्या 01/भ.वनि./इं.क.सं.वि.वि./2023

दिनांक 25/09/2023

प्रसारित नहीं करने के लिए सभी सावधानियां बरतेगा। दायित्व किसी दायरे तक सीमित नहीं है और ग्राहक की जानकारी की गोपनीयता के उल्लंघन के मामले में ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

1.2.2 यदि ठेकेदार को प्रेस/समाचार/मीडिया/रेडियो/टेलीविजन या अन्य निकायों से पूछताछ प्राप्त होती है/ व्यक्ति, ऐसे प्रश्न प्राप्त होने पर ठेकेदार द्वारा तुरंत विश्वविद्यालय को भेजा जाएगा।

1.2.3. सुरक्षा कर्मचारी किसी भी रूप में कोई आभार, टिप या पुरस्कार स्वीकार नहीं करेंगे

2. सुरक्षा निधि जमा (performance Guarantee):

2.1 सफल बोलीदाता स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के उपरांत 15 दिनों के अंदर अनुबंधित मूल्य के 3 प्रतिशत के बराबर सुरक्षा निधि (performance Guarantee) बैंक ड्राफट के माध्यम से जमा करेगा।

3. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर:

3.1 सफल बोलीदाता अनुबंध में प्रवेश करेगा और सेवाओं के शुरू होने से पहले समझौते के लेखों के अनुसार अनुबंध समझौते का निष्पादित और हस्ताक्षर करेगा।

3.2 विश्वविद्यालय इस दस्तावेज में शामिल प्रोफार्मा में समझौते के आलेखों का मसौदा तैयार करेगा, जिसमें दोनों पक्षों के बीच समझौते की सभी शर्तों को विधिवत शामिल किया जाएगा और इसे बोलीदाता को उनकी सहमति के लिए दो प्रतियों में भेजा जाएगा।

3.3 सफल बोलीदाता को विश्वविद्यालय से समझौते के मसौदे की प्राप्ति के दो (02) दिनों के भीतर समझौते के मसौदे की विधिवत सहमत प्रतियां लौटानी होगी, जो स्टांप पेपर की सही मात्रा पर मुद्रित होगी, जहां अनुबंध को निष्पादित करने का प्रस्ताव है, वहां के स्टांप रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत निर्णय लिया जाएगा।

3.4 विश्वविद्यालय का सक्षम प्राधिकारी अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करेगा और उसकी एक प्रति सफल बोलीदाता को लौटा देगा।

4. ठेकेदार के दायित्व:

4.1 ठेकेदार अपनी सेवाओं के निष्पादन के लिए अपने वर्दीधारी और प्रशिक्षित कर्मियों के माध्यम से असाइनमेंट निर्देशों के अनुसार और विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार सुरक्षा सेवाएं प्रदान करेगा और तैनात किए गए ये सुरक्षा कर्मी केवल ठेकेदार के कर्मचारी होंगे और विश्वविद्यालय

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़

निविदासंख्या 01 / भ.वनि. / इं.क.सं.वि.वि. / 2023

दिनांक 25 / 09 / 2023

इसमें शामिल नहीं होगा एवं किसी भी तरह से उत्तरदायी होगा। सभी वैधानिक देनदारियों (जैसे ईएसआई और पीएफ आदि) का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।

4.2 ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि सभी सुरक्षाकर्मी न्यूनतम वेतन अधिनियम के प्रावधानों के तहत आते हैं। ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा सुरक्षा कर्मियों का वेतन किसी भी परिस्थिति में प्रचलित न्यूनतम वेतन से कम न हों।

4.3 ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी सुरक्षाकर्मी न्यूनतम को ग्राहक के साथ मासिक अनुबंधित राशि के अनुसार वेतन दिया जाए। यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार ने सुरक्षा कर्मियों को ग्राहक के साथ अनुबंधित राशि से कम वेतन वितरित किया है, तो अनुबंध बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा। ठेकेदार की सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया जाएगा।

4.4 ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक को सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करते समय सभी सुरक्षाकर्मी ईपीएफ, ईएसआईसी और समय-समय पर लागू होने वाले किसी भी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत आते हैं। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि ईपीएफ और ईएसआई के कारण कटौती की गई राशि और सुरक्षा कर्मियों के वेतन से किसी अन्य कटौती की गई राशि का विवरण नासिक आधार पर ग्राहक को प्रस्तुत किया जाए।

4.5 ठेकेदार अपने कर्मियों को समय-समय पर ईपीएफ, ईएसआईसी, बोनस, छुट्टी, वर्दी, राहत आदि जैसे वैधानिक लाभों के भुगतान का विवरण ग्राहक को देगा। ठेकेदार को तिमाही आधार पर सुरक्षा कर्मियों के संबंध में ईपीएफओ, ईएसआईसी और किसी अन्य लागू संगठन के पास जमा की गई राशि का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

4.6 विश्वविद्यालय के पास किसी भी सुरक्षाकर्मी को, जिसे अवांछनीय या अन्यथा माना जाता है, उधित कारण से हटाने का अधिकार होगा और इसी तरह ठेकेदार के पास विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति से गार्ड को हटाने का अधिकार सुरक्षित है, आपातकालिन स्थिति को छोड़कर।

4.7 ठेकेदार अपने सुरक्षा कर्मियों को ड्यूटी करते समय व्यक्तिगत दुर्घटना और मृत्यु के लिए के लिए कवर करेगा और विश्वविद्यालय इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व और दायित्व नहीं होगा।

4.8 ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मी विश्वविद्यालय की किसी भी संपत्ति को विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) की लिखित अनुमति के बिना परिसर से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं देंगे।

4.9 ठेकेदार अपने सभी कर्मचारियों को पहचान पत्र/पहचान दरतावेज जारी करेगा जिन्हें



इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़

निविदासंख्या 01 / भ.वनि. / इ.क.सं.वि.वि. / 2023

दिनांक 25 / 09 / 2023

ठेकेदार द्वारा इन्हें प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाएगा।

4.10 ठेकेदार के कर्मचारी विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं होंगे और वे इस अनुबंध के तहत अपने रोजगार/कर्तव्य से उत्पन्न होने वाले किसी वेतन या भत्ते, मुआवजे, क्षति या किसी भी चीज का दावा नहीं करेंगे। इस समझौते के तहत तैनाती से पहले ठेकेदार उन्हे इस स्थिति के बारे में लिखित रूप से अवगत कराएगा।

4.11 ठेकेदार अपने खर्च पर अपने कर्मचारियों को वैधानिक या अन्यथा सभी लाभ प्रदान करेगा और इस संबंध में ग्राहक का कोई दायित्व नहीं होगा। ठेकेदार श्रम कानूनों, ईपीएफ कानूनों, ईएसआईसी कानूनों, आयकर कानूनों और न्यूनतम मजदूरी कानूनों, अनुबंध श्रम (विनियम उन्मूलन अधिनियम) या लागू किसी भी अन्य कानून का भी पालन करेगा।

4.12 ठेकेदार अपने सुरक्षा कर्मियों को अपनी लागत पर वर्दी प्रदान करेगा।

4.13 ठेकेदार अपने सभी कर्मियों को ईपीएफ, श्रम, ईएसआईसी आदि के प्रासंगिक कानूनों के तहत कदर करेगा। इसका प्रमाण ठेकेदार द्वारा समय-समय पर ग्राहक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4.14 ठेकेदार अपने कर्मियों को भुगतान किए गए मासिक वेतन को दर्शाने वाली वेतनशीट की एक प्रति प्रस्तुत करेगा।

4.15 तैनात सुरक्षा कर्मचारियों के पूर्ववृत्त को ठेकेदार द्वारा स्थानीय पुलिस प्राधिकरण से सत्यापित कराया जाएगा और इस संबंध में ग्राहक को एक वचन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

4.16 दोनों पक्षों के बीच सहमत प्रचलित असाइनमेंट निर्देशों के अनुसार उक्त सुरक्षा सेवाओं का सही प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पर्यवेक्षण प्रदान किया जाएगा।

4.17 ठेकेदार सभी सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति रजिस्टर तैयार करना सुनिश्चित करेगा साइट-वार सभी साइटों के उपस्थिति रजिस्टरों को ठेकेदार द्वारा ग्राहक के सक्षम प्राधिकारी के साथ दैनिक आधार पर सत्यापित किया जाएगा।

4.18 ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी एजेंसी के फील्ड पर्यवेक्षक/ऑपरेटर प्रबंधक दिन की पाली और रात की पाली दोनों में दैनिक आधार पर गस्त करें। गस्त की रिपोर्ट ठेकेदार द्वारा विश्वविद्यालय को साप्ताहिक आधार पर प्रस्तुत की जाएगी।

5. ठेकेदार के दायित्व:

5.1 ठेकेदार विश्वविद्यालय और उसके कर्मचारियों को अनुबंध के किसी भी उल्लंघन, गलत



इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़

निविदासंख्या 01 / भ.वनि. / इ.क.सं.वि.वि. / 2023

दिनांक 25 / 09 / 2023

कार्य या लापरवाही या विश्वविद्यालय को सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने में लगे उसके किसी भी कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी दायित्व, दावे, हानि या क्षति के खिलाफ पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करेगा और हानिरहित रखेगा।

6. विश्वविद्यालय के दायित्व:

6.1 स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान किए जाने अलावा, विश्वविद्यालय, अपने स्वयं के खर्च पर, उन स्थानों पर सभी आवश्यक उपकरण और सुविधाएं समय पर प्रदान करेगा जहां गार्डिंग सेवाएं प्रदान की जानी है ताकि ठेकेदार के कर्मचारियों को गार्डिंग सेवाएं करने में सक्षम बनाया जा सके। ऐसे उपकरण और सुविधाओं में, बिना किसी सीमा के, पर्याप्त हीटिंग/हवा, प्रकाश, बिजली, शौचालय सुविधाएं और कुर्सी, पीने का पानी, कार्यालय स्टेशनरी, फाइलें, लेजर, रजिस्टर इत्यादि शामिल होंगे।

6.2 विश्वविद्यालय गार्डिंग सेवाओं के प्रदर्शन के संबंध में ठेकेदार द्वारा लिखित रूप में की गई सुरक्षा सिफारिशों (यदि कोई हों) का अनुपालन करेगा और पूरा करेगा, यदि विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाता है। विश्वविद्यालय को गार्डिंग सेवाओं के संबंध में ठेकेदार के कर्मचारियों या एजेंटों के किसी भी बेईमान, गलत या लापरवाहीपूर्ण कार्य या चूक के बारे में विश्वविद्यालय को पता चलने के तुरंत बाद सूचित करना चाहिए।

7. अनुबंध की वैधता:-

यदि अनुबंध प्रदान किया जाता है, तो प्रारंभ में यह अनुबंध की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए होगा, बशर्ते कि इसका प्रदर्शन लगातार संतोषजनक रहें। अनुबंध के उल्लंघन के मामले में या न्यूनतम आवश्यकताओं/वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने की स्थिति में, ग्राहक के पास ठेकेदार द्वारा जमा की गई प्रदर्शन सुरक्षा राशि को जब्त करने और काली सूची में डालने आदि के लिए प्रशासनिक कार्यवाही शुरू करने के अलावा अनुबंध को तुरंत समाप्त करने का अधिकार होगा, जो केवल विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करेगा। एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि को एक—एक वर्ष की दो और शर्तों के लिए बढ़ाया जा सकता है यानी अनुबंध अवधि की कुल अवधि विश्वविद्यालय के विवेक पर संतोषजनक सेवाओं के अधीन तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

8. भुगतान:

8.1 ठेकेदार के रूप में सफल बोलीदाता के चयन के बाद, एक मूल्य अनुसूची समझौते के लेखों के साथ संलग्न की जाएगी जिसके अनुसार सुरक्षा सेवाओं के लिए ग्राहक द्वारा ठेकेदार को सभी भुगतान किए जाएंगे।



इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़

निविदासंख्या 01 / भ.वनि. / इं.क.सं.वि.वि. / 2023

दिनांक 25 / 09 / 2023

8.2 मूल्य अनुसूची में कीमतें किसी भी जीएसटी/सेवा कर, शिक्षा उपकर, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर या सरकार द्वारा समय-समय पर लगाए जाने वाले किसी भी अन्य लागू कर से अलग होगी और इसे लागू दर के अतिरिक्त वसूला जाएगा।

8.3 अनुबंध की प्रारंभिक लागत एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी। इस अवधि के दौरान ग्राहक द्वारा न्यूनतम मजदूरी संशोधन के अलावा किसी भी कीमत में वृद्धि पर विचार नहीं किया जाएगा।

8.4 एक वर्ष के अनुबंध की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति के बाद और यदि अनुबंध ग्राहक द्वारा नवीनीकृत किया जाता है, तो ठेकेदार केवल न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के कारण अनुबंध लागत में वृद्धि का दावा करेगा, जब भी सरकार द्वारा वृद्धि की जाएगी।

8.5 सरकार के नियमों और समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार, टीडीएस काटने के बाद सभी भुगतान केवल एनईएफटी/आर.टी.जी.एस. द्वारा किए जाएंगे।

8.6 विश्वविद्यालय ठेकेदार को किए गए किसी भी भुगतान से लागू कानून, आयकर या रोके गए कर या अन्य कटौतियों (जैसा भी मामला हो) के अनुसार कटौती करने का हकदार होगा, और इस प्रकार कटौती की गई राशि को भुगतान माना जाएगा। ठेकेदार को ग्राहक को इस प्रकार की गई कटौती को प्रमाणित करने वाला एक प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा।

8.7 न तो कोई अग्रिम भुगतान किया जाएगा और न ही कार्य सौंपने के आदेश के आधार पर अनुशासित किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से कोई ऋण लिया जाएगा।

9. श्रमिक और ठेकेदार के कार्य:

9.1 श्रम नियम अनुपालन:

ठेकेदार सभी श्रम कानूनों, ईपीएफ संगठन, ईएसआई निगम से संबंधित कानूनों का पालन करेगा। ठेकेदार द्वारा अपने तैनात कर्मचारियों के संबंध में ईपीएफ, ईएसआईसी का विवरण हर महीने बिल के साथ ग्राहक को प्रस्तुत किया जाएगा। ठेकेदार वेतन और भत्ते के समय पर भुगतन, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, ओवरटाइम का भुगतान, छुट्टी का अनुदान, श्रमिकों के मुआवजे का भुगतान, काम के घंटे, सुरक्षा, मातृत्व लाभ, छुट्टियां, स्थायी आदेश तैयार करना, कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही, भविष्य निधि योगदान, ग्रेच्यूटी का भुगतान और बोनस के भुगतान से संबंधित मामलों का पालन करेगा, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

9.2 ठेकेदार हर समय ग्राहक को सभी दायों, क्षतियों या मुआवजों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति देगा

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़

विविदासंख्या 01 / भ.वनि. / इं.क.सं.वि.वि. / 2023

दिनांक 25 / 09 / 2023

वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के प्रावधान, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, नियोक्ता का दायित्व अधिनियम, 1938; कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923; औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961; छत्तीसगढ़ श्रम कानून अधिनियम या उसमें कोई संशोधन या उससे संबंधित कोई अन्य कानून और उसके तहत समय—समय पर बनाए गए नियम। इस संबंध में विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

9.3 सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति:

ठेकेदार ग्राहक परिसर में सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी सुरक्षा और अन्य प्रशासनिक कर्मियों की नियुक्ति के लिए अपनी व्यवस्था करेगा और ऐसे कर्मियों की पर्याप्त और उपर्युक्त आपूर्ति की व्यवस्था करने में उचित परीक्षण करेगा, लेकिन ऐसे सभी भारत में व्यवस्थाएं सामान्य स्थानीय उपयोग के अनुसार और लागू कानूनों के अधीन होगी।

9.4 ठेकेदार के श्रमिक:

9.4.1 ठेकेदार को हर समय यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास विश्वविद्यालय साइट पर विश्वविद्यालय परिसर की निगरानी के लिए पर्याप्त उपर्युक्त और योग्य कर्मचारी हैं और अनुबंध के तहत ठेकेदार पर लगाई गई जिम्मेदारियों को पूरा करने और निष्पादन पर पूरा ध्यान देने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हैं। उसका कार्य-

9.4.2 ठेकेदार अपना संगठन चार्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें प्रमुख कर्मियों का विवरण उनके पूर्ण संपर्क विवरण के साथ दिखाया जाएगा। ठेकेदार किसी भी बदलाव के बारे में ग्राहक को सूचित भी करता रहेगा। इसके संगठन या इसके कर्मियों में

9.4.3 ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मियों को साफ सुथरी वर्दी (उचित नाम बैज सहित) पहननी होगी।

10. दंड:

10.1 ठेकेदार अपनी तीनात् सुरक्षा जनशक्ति को अधिकतम 5 तारीख तक वेतन वितरित करेगा प्रत्येक माह का, ऐसा न करने पर 15 तारीख तक प्रतिदिन 10000/- रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। महीने का और अनुबंध समाप्त किया जा सकता है, सुरक्षा जमा/प्रदर्शन बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी और ठेकेदार ग्राहक द्वारा काली सूची में डाले जाने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसे मामलों में, ग्राहक के पास ठेकेदार के जोखिम और लागत पर सुरक्षा सेवाओं के लिए किसी अन्य एजेंसी को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

10.2 जब भी और जहां भी यह पाया जाता है कि सौंपा गया कार्य विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार पूरी संतुष्टि तक नहीं किया गया है, तो विश्वविद्यालय द्वारा इसे ठेकेदार के ध्यान में लाया जाएगा और यदि तुरंत कोई कार्यवाही नहीं की गई जो रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रति शिकायत 5000/- प्रति दिन जुर्माना धारा लागू करके लगाया जाएगा।

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़

प्रवेदसंख्या 01 / भ.वनि. / इं.क.सं.वि.वि. / 2023

दिनांक 25 / 09 / 2023

10.3 ग्राहक के परिसर में सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षकों की न्यूनतम आवश्यकता को तैनात करने के अलावा, ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों के एक पूल के रूप में ठेकेदार के पास पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मी उपलब्ध हैं। यदि सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षकों की आवश्यक संख्या अनुबंध में उल्लेखित निर्दिष्ट संख्या से कम हैं, तो प्रति दिन अनुपस्थित 5000/- रूपये का जुर्माना बिल से काटा जाएगा।

10.4 यदि ठेकेदार निविदा दस्तावेज की शर्तों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, ईपीएफ, ईएसआईसी, छुट्टी, ग्रेचूटी आदि का लाभ जैसी न्यूनतम वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है और संबंधित दस्तावेजों का उत्पादन करने में विफल रहता है, तो इसे अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और मासिक बिल और प्रदर्शन सुरक्षा जमा को जब्त करने के अलावा, ठेकेदार को ग्राहक द्वारा ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।

11. समाप्ति:

11.1 यदि दूसरा पक्ष इस अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का भौतिक उल्लंघन कर रहा है और ऐसे उल्लंघनों के मामले में जिन्हें सुधारा जा सकता है, ऐसे उल्लंघन की सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर उस उल्लंघन का समाधान करने में विफल रहता है, तो इस अनुबंध को किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे को न्यूनतम एक महीने की अवधि के लिए लिखित नोटिस देकर तुरंत समाप्त किया जा सकता है; या

11.2 विश्वविद्यालय द्वारा ठेकेदार को लिखित सूचना देकर अनुबंध को तुरंत समाप्त किया जा सकता है, यदि:

11.2.1 ठेकेदार द्वारा अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन और/या असंतोषजनक सेवाओं के मामले में और/या ठेकेदार दिवालिया हो जाता है या ठेकेदार द्वारा अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन और/या असंतोषजनक सेवाओं के मामले में और/या ठेकेदार दिवालिया हो जाता है।

विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए अनुबंध रद्द करने का अधिकार होगा, और विश्वविद्यालय द्वारा कुछ भी भुगतान नहीं किया जाएगा और उस स्थिति में सुरक्षा निधि जमा जब्त कर लिया जाएगा और ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़

शिदासंख्या 01 / भ.वनि. / इ.क.स.वि.वि. / 2023

दिनांक 25 / 09 / 2023

वित्तीय बोली प्रपत्र

परिशिष्ट-5

(निविदा दर)

अपनी कीमतें बताएं

वर्ग	न्यूनतम महीने के वेतन या उद्धृत मजदूरी (प्रचलित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं)	ईपीएफ	ईएसआईसी	ईडीएलआई	लागत प्रति व्यक्ति / प्रति महीना	आवश्यक व्यक्तियों की संख्या (8 घंटे की ड्यूटी)	कुल लागत (रखवाली करने वाला कर्मचारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा सुपरवाइजर						12	
कुल उद्धृत बोली मूल्य (रुपये)							

रुपये

(विशेष:- 1. दर प्रति वर्ष 8 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से तीन पालियों का)

2. सेवा शुल्क (जीएसटी) अतिरिक्त देय होगा।

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़

प्रेससंख्या 01 / भ.वनि. / इ.क.सं.वि.वि. / 2023

दिनांक 25 / 09 / 2023

परिशिष्ट-6

तकनीकी बोली प्रपत्र

1. फर्म का नाम.....
2. फर्म का पता.....
3. दूरभाष नं. एसटीडी कोड के साथ (ऑफिस)..... (फैक्स)..... (निवास).....
4. बोली जमा करने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर.....
5. बोली जमा करने वाले व्यक्ति का ई-मेल.....
6. संगठन की ईमेल आईडी.....
7. वेबसाइट का पता.....
8. फर्म का पंजीकरण एवं निगमन विवरण:
 - 1) निजी मर्यादित
 - 2) पब्लिक लिमिटेड
 - 3) कोई अन्य-कृपया निर्दिष्ट करें.....
9. निदेशक (ओ) का नाम.....
10. निदेशकों की ईमेल आईडी.....
11. निदेशक (निदेशकों) का मोबाइल नंबर.....
12. बोलीदाता का बैंक, उसका पता और चालू खाता संख्या.....
13. स्थाई आयकर संख्या, आयकर सर्कल (PAN).....
14. जीएसटी नंबर.....
15. ईपीएफ पंजीकरण संख्या.....
16. ईएसआईसी पंजीकरण संख्या.....
17. ईएमडी का विवरण
 - I. डिमांड ड्रापट / बैंकर चेक संख्या.....
 - II. तारीख.....
 - III. बैंक का नाम.....
 - IV. बैंक का पता.....
 - V. द्वीजी / डीडी की वैधता.....
18. संलग्न किए गए दस्तावेजों का विवरण

1. बयाना राशि (Ernest Money)	हां नहीं
2. पैन की प्रतिलिपि	हां नहीं

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़

प्रैदासंख्या 01 / भ.वनि. / इं.क.सं.वि.वि. / 2023

दिनांक 25 / 09 / 2023

3.	जीएसटी की प्रति	हां नहीं
4.	पिछले तीन वर्षों की बैलेस शीट की प्रतियां	हां नहीं
5.	पिछले तीन वर्षों के आईटीआर की प्रतियां	हां नहीं
6.	अनुभव प्रमाण पत्र और कार्य आदेश	हां नहीं
7.	परिशिष्ट-2	हां नहीं
8.	परिशिष्ट-5	हां नहीं
9.	परिशिष्ट-6	हां नहीं
10.	अनुबंध-11	

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़

प्रेससंख्या 01 / भ.वनि. / इं.क.सं.वि.वि. / 2023

दिनांक 25/09/2023

परिशिष्ट-7 तकनीकी मूल्यांकन-स्कोर शीट

क्र.	विवरण	मापदंड	अधिकतम अंक	आवश्यक दस्तावेज	कुल प्राप्तांक
1.	सुरक्षा सेवायें प्रदाय का कार्यानुभव	वर्ष 2018-19 से कार्यानुभव प्रत्येक वर्ष के लिये 2 अंक	10	कार्यादेश की छायाप्रति स्वप्रमाणित	
2.	वर्ष 2022-23 में विभिन्न संस्थाओं में प्रदाय सुरक्षा-कर्मी	विभिन्न संस्था में उपलब्ध न्यूनतम 10 सुरक्षा कर्मी होने पर, प्रत्येक संस्था हेतु 2 अंक	10	कार्यादेश स्वप्रमाणित	
3.	2022-23 में कर्मचारियों की कुल वार्षिक औसत संख्या जिनकी ESIC/EPP जमा करवाई गई	50 कर्मियों तक- 1 अंक 50-100 कर्मियों तक-2 अंक 100-200 कर्मियों तक-3 अंक 200-500 कर्मियों तक-5 अंक	10	दस्तावेज की छायाप्रति	
4.	निविदाकार के पास उपलब्ध वैध क्वालिटी सर्टिफिकेट	ISO 9001-2015 - 02 अंक ISO 27001-2013 - 03 अंक दोनों सर्टिफिकेट होने पर 5 अंक	5	दस्तावेज की छायाप्रति	
5.	विगत तीन वर्षों का वार्षिक टर्न ओवर	1 करोड़ तक-5 अंक 1 करोड़ से अधिक प्रत्येक 1 करोड़ पर 2 अंक	5	दस्तावेज की छायाप्रति	
			40		

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़

प्रेदसंख्या 01 / भ.वनि. / इ.क.सं.वि.वि. / 2023

दिनांक 25 / 09 / 2023

परिशिष्ट-8

वित्तीय पत्रक का मूल्यांकन

निविदा का मूल्यांकन QCCB (Quality Cum Cost Basis) के आधार पर किया जाना है। जिसमें तकनीकी निविदा को 40% तथा वित्तीय निविदा को 60% महत्व दिया जायेगा। इसकी गणना निम्नानुसार की जायेगी।

- वित्तीय निविदा पत्रक में विभिन्न कर्मचारियों हेतु अलग-अलग दी गयी दर सेवा प्रभार का कुल योग सुरक्षा सेवा प्रदाय हेतु वित्तीय भार का आकलन किया जायेगा। जिस निविदाकार का वित्तीय भार न्यूनतम अंकलित होगा उसे 60 अंक दिये जायेंगे।
- न्यूनतम निविदाकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय दर

$$\text{X } 60 = \text{प्राप्तांक}$$

निविदाकार जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है उसका वित्तीय भार

- तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के प्राप्तांकों को जोड़कर जिस निविदाकार को सर्वाधिक अंक प्राप्त होंगे उसे सफल (न्यूनतम) निविदा-घोषित कर चयन किया जायेगा।
- एक से अधिक निविदाकार के कुल प्राप्तांक समान होने पर ऐसे निविदाकार का चयन किया जायेगा जिसका वर्ष 2022-23 में EPF सूची के अनुसार उपलब्ध कराये गये कर्मियों की संख्या सर्वाधिक हो।

L

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़

दस्तावेज़ संख्या 01 / भ.वनि. / इं.क.सं.वि.वि. / 2023

दिनांक 25 / 09 / 2023

परिशिष्ट-9

- मैं, अधोहस्ताक्षरी प्रमाणित करता हूँ कि मैंने निविदा संख्या..... दिनांक..... में उल्लेखित सभी नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और बिना शर्त उनका अनुपालन करने का वचन देता हूँ।
- यह कि मेरे द्वारा उद्धृत दरें अनुबंध की पूरी अवधि के लिए वैध और मेरे लिए वाध्यकारी हैं और यह प्रमाणित किया जाता है कि उद्धृत दरें भारत में किसी भी अन्य संसाधन में उद्धृत दरों में सबसे कम हैं।
- कि मैं/हम इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के सक्षम प्राधिकारी को अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के मामले में मेरे/हमारे द्वारा जमा की गई वयाना राशि/सुरक्षा राशि को जब्त करने और मेरी/हमारी एजेंसी को काली सूची में डालने की कार्यवाही करने का अधिकार देते हैं।
- यदि हमारी एजेंसी कार्य आदेश स्वीकार करने और/या अनुबंध समझौते को निष्पादित करने में विफल रहती है, या अनुबंध निष्पादित करने में लापरवाही के मामले में, या अनुबंध के उल्लंघन के मामले में, मैं/हम इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के सक्षम प्राधिकारी को वयाना राशि जब्त करने और हमारी एजेंसी को काली सूची में डालने का अधिकार भी देते हैं।
- कि मैं/हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी को वयाना राशि जब्त करने और हमारी एजेंसी के खिलाफ काली सूची में डालने की कार्यवाही शुरू करने का अधिकार देता हूँ यदि हमारी एजेंसी निविदा दस्तावेज़/अनुबंध समझौते/स्वीकृति पत्र के नियमों और शर्तों के अनुसार प्रदर्शन बैंक ड्राफ्ट जमा करने में विफल रहती है।
- मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि भारत सरकार या किसी अन्य सरकारी निकाय ने हमें भ्रष्ट, धोखाधड़ी, मिलीभगत या जबरदस्ती प्रथाओं या किसी भी प्रकृति की विफलता/चूक में शामिल होने के आरोप में अयोग्य या ब्लैक लिस्टेड या वंचित घोषित नहीं किया गया है।
- कि मैं निविदा दस्तावेज़/अनुबंध समझौते में दिए गए निर्देशों के अनुसार आइटम प्रदान करने का वचन देता हूँ।

जगह:

तारीख:

मोहर सहित बोलीदाता के दिनांकित हस्ताक्षर.....
बोली लगाने वाले का नाम.....
(नोटरीकृत शपथपत्र 10/- रु. के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाना है।
शपथ पत्र की एक प्रति निविदा दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाना है।)

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़

ब्राह्मसंख्या 01 / भ.वनि. / इं.क.सं.वि.वि. / 2023

दिनांक 25/09/2023

परिशिष्ट-10

1. कि मैं अधोहस्ताक्षरी वचन देता हूँ कि मेरी एजेंसी मेसर्स..... के पास निविदा संख्या..... दिनांक..... के अनुसार अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए हमारी स्वयं की प्रशिक्षित सुरक्षा जनशक्ति है।
2. मैं यह भी वचन देता हूँ कि नियोजित श्रमिकों को सरकार के आदेश के अनुसार कम से कम न्यूनतम मजदूरी (कुशल और अकुशल दोनों के लिए) का भुगतान किया जाएगा। छ.ग. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अनुबंध की शर्तों के अनुसार उन श्रमिकों के संदर्भ में ईएसआई. ईपीएफ और अन्य श्रम अनुपालन आदि के संबंध में सभी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना।

स्थान:

तारीख:

मोहर सहित बोलीदाता के दिनांकित हस्ताक्षर.....

बोली लगाने वाले का नाम.....

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खेरागढ़

असल्ला 01 / भ.वनि. / इं.क.सं.वि.वि. / 2023

दिनांक 25/08/2023

परिशिष्ट-11

अनुभव संबंधी विवरण

क्रमांक	विभाग का नाम	विभाग का प्रकार शासकीय / अर्द्धशासकीय स्वशासी	समयावधि	उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों की संख्या	कार्यादेश दिनांक